

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

में, राम लीटन राजश्र (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम)

ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत रुसवाँ लक्ष्मीराम जिला

सं: अजालपुर जनपद लीतपुर

प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री पार्वती राजश्र (श्रीमती)

दिलीप कुमार (उम्मीदवार का नाम), पति/पुत्री श्री/श्री/ती

रुसवाँ लक्ष्मीराम (पिता/माता का नाम), निवासी

आधार संख्या 9669 283 3 9683 (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका

ग्राम पंचायत रुसवाँ लक्ष्मीराम (आधार संख्या) है, ने इसकी

और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:.....



हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का
(ग्राम पंचायत)